

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2013—श्रावण 22, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 7521-235-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अगस्त 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०१३

## मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१३

[ दिनांक १२ अगस्त, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ (क्रमांक १० सन् १९७९) की धारा २ में, स्पष्टीकरण में,—

(एक) खण्ड (तीन) में, शब्द "और" का लोप किया जाए;

(दो) खण्ड (चार) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् शब्द "और" अन्तःस्थापित किया जाए;

(तीन) खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(पांच) वे व्यक्ति जो राज्य सरकार या उसकी किसी एजेन्सी से किसी भी नाम से आर्थिक फायदे प्राप्त कर रहे हों और जिनसे लोक स्वास्थ्य के संबंध में सार्वजनिक फायदे के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है."

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक १ सन् २०१३), एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 7522-236-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 27 OF 2013

THE MADHYA PRADESH ATYAVASHYAK SEVA SANDHARAN TATHA  
VICHCHINNATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 12<sup>th</sup> August, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13<sup>th</sup> August, 2013.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

**Amendment of Section 2.**

2. In section 2 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), in the explanation,—

- (i) in clause (iii), the word "and" shall be omitted;
- (ii) in clause (iv), for the full stop, a semi-colon shall be substituted and thereafter the word "and" shall be inserted;
- (iii) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—
  - “(v) persons getting monetary benefits in whatever name from the State Government or its agency and who are required to discharge duties for the benefit of public in relation to public health.”.

**Repeal and savings.**

3. (1) The Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013 (No. 1 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.